

अनुबंध 8.2

राज्य सरकारों के बजट परिचालन - मुख्य शीर्ष

राजस्व लेखा (ए और बी)

(ए) राजस्व प्राप्तियाँ (i+ii)

(i) कर राजस्व (क+ख)

(क) राज्यों का अपना कर राजस्व

(ख) केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा

(ii) करेतर राजस्व

(क) राज्यों का अपना करेतर राजस्व

जिसमें से

ब्याज प्राप्तियाँ

(ख) केंद्र सरकार से अनुदान (i+ii)

(i) सांविधिक अनुदान

(ii) गैर सांविधिक अनुदान

(बी) राजस्व व्यय

I. विकासात्मक व्यय

(क) आर्थिक सेवाएँ

(ख) सामाजिक सेवाएँ

II. गैर विकासात्मक सेवाएँ (सामान्य सेवाएँ)

(क) राज्य के अंग

(ख) राजकोषीय सेवाएँ

(ग) ब्याज भुगतान

जिसमें से

केंद्र से ऋण

बाजार उधार

(घ) प्रशासनिक सेवाएँ

(ङ) पेंशन

(च) विविध सामान्य सेवाएँ

(III) सहायता अनुदान और अंशदान

(IV) स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन

(V) वित्त विभाग के पास आरक्षित निधि

पूँजीगत लेखा (I और II)

I. पूँजीगत प्राप्तियाँ (क से ठ)

(क) आंतरिक कर्ज

जिसमें से

बाजार ऋण

(ख) केंद्र से ऋण एवं अग्रिम

(ग) ऋण एवं अग्रिमों की वसूली

(घ) अंतर-राज्य निपटान

(ङ) आकस्मिकता निधि

(च) लघु बचत, भविष्य निधि, आदि

(छ) आरक्षित निधियाँ

(ज) जमाराशियाँ और अग्रिम

(झ) उचंत और विविध

(ञ) आकस्मिकता निधि में विनियोजन

(ट) विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ

जिनमें से

विनिवेश

(ठ) विप्रेषण

II. पूँजीगत संवितरण

(क) पूँजीगत परिव्यय

(ख) राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम

(ग) आंतरिक कर्ज का उन्मोचन

जिसमें से

बाजार ऋण का उन्मोचन

(घ) केंद्र को ऋणों की चुकौती

(ङ) अंतर-राज्य निपटान

(च) आकस्मिकता निधि

(छ) लघु बचत, भविष्य निधियाँ, आदि

(ज) आरक्षित निधियाँ

(झ) जमाराशियाँ और अग्रिम

(ञ) उचंत और विविध

(ट) आकस्मिकता निधि में विनियोजन

(ठ) विप्रेषण